

185/2023

उत्प्रेषण 2/15 रामधाम

22/3/24

पत्रावली पेश हुई।

अन्य राज्य कार्य में

पत्रावली पूर्वावधारित

को पेश हों।

17/5/24

17/5/24 पत्रावली पेश हुई। पीछे अन्य राज्य कार्य में पत्रावली पूर्वावधारित को पेश हों।

14/6/24 पत्रावली पूर्वावधारित को पेश हों।

14/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा उपस्थित अर्थात् लं. 100 5 वाकजूड लामील उपस्थित नहीं। अर्थात् लं. 100 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वही वकील द्वारा सुनी गई। वही अर्थात् व पत्रावली का मय इस्तोपेज अवलोकन करने पर इत भगालड के लथगन आदेश दिनांक 09/11/2023 को मूलवाद के मिस्तारण तक कन्फर्म डिमा जाता है। पत्रावली केवल शुभाट सेक्टर, दर्ज नम्बर के उम से बाद लामील शामिल इफ्तार है।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (अगानेर)

